कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ ( )वाचक / Case No.34/2023/ 375-77 दिनांक 2/5/2023

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना सज्जनगढ द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 88/2023 दिनांक 01.04.2023 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 एवं धारा 11(1)(डी) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 में दर्ज कर बताया कि दिनांक 01.04.2023 को पिकअप नम्बर जीजे10–वाय–6279 में 4 गौवंश (बैल) जिन्हे वाहन में भरकर ले जाते हुए पाये जाने पर उक्त 4 बैल (गौवंश) को जब्त कर अपने कब्जे में लेकर वास्ते सुरक्षा एवं चराई के लिए एवं प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक वात्सल्य गौशाला सज्जनगढ को सुपुर्द करने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत जप्तशुदा 4 बैल (गौवंश) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, वात्सल्य गौशाला सज्जनगढ को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जप्त शुदा 4 बैल (गौवंश) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, वात्सल्य गौशाला सज्जनगढ की होगी। जब्तशुदा गोवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, वात्सल्य गौशाला सज्जनगढ बाध्य होगा।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, बॉसवाडा
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सज्जनगढ
3. प्रबन्धक, वात्सल्य गौशाला सज्जनगढ

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner